भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2778

12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) में मत्स्यन हेतु प्रवेश पास

2778 श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

श्री तेजवीर सिंहः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) में मछली पकड़ने हेतु शुरू किए गए एक्सेस पास के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा यह केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ड्यूटी फ्री कैच लाभों को किस प्रकार क्रियान्वित करता है;

(ख) एक्सेस पास के शुभारंभ के बाद से इसके अंतर्गत पंजीकृत मत्स्य नौकाओं और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की संख्या राज्य-वार / संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ग) क्या मत्स्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने एवं गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के अवसरों का विस्तार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ गठित संयुक्त कार्य समूह के अंतर्गत कोई रणनीतिक ढांचा अपनाया गया है;

(घ) क्या समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा हेतु एक्सेस पास ढांचे के साथ वास्तविक समय ट्रांसपोंडर और संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र (पीएफजेड) परामर्शों जैसी सुरक्षा प्रणालियों को एकीकृत किया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्यन के लिए एक्सेस पास एक निःशुल्क डिजिटल पास है, जिसे ReALCRaft पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों की संधारणीयता सुनिश्चित करते हुए, पारंपरिक मछुआरों, सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को EEZ (12 से 200 समुद्री मील) में मत्स्यन के लिए सशक्त बनाना है। यह एक्सेस पास भारत सरकार द्वारा 04 नवंबर 2025 को अधिसूचित 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मात्स्यिकी का संधारणीय उपयोग नियम, 2025' के तहत जारी किया जाता है। एक्सेस पास यंत्रीकृत मत्स्यन जहाजों और 24 मीटर से अधिक लंबाई वाली बड़ी मोटर चालित नौकाओं के लिए आवश्यक है, जबकि स्थानीय आजीविका की रक्षा के लिए पारंपरिक गैर-मोटर चालित और लघु पारंपरिक नौकाओं को पूरी तरह से छूट दी गई है। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पारंपरिक एवं छोटे पैमाने के

मछुआरों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को मत्स्यन के संचालन का विस्तार करने, गहरे समुद्र में मत्स्यन के माध्यम से अप्रयुक्त संसाधनों का उपयोग करने और प्रसंस्करण तथा निर्यात के माध्यम से आय के नए स्रोत प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके। EEZ नियमों के अनुसार, भारत के EEZ में 12 समुद्री मील से आगे मत्स्यन के संचालन के लिए एक्सेस पास होना आवश्यक है। अब तक, तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर कुल 9,650 एक्सेस पास जारी किए जा चुके हैं। EEZ नियम, 2025 के तहत जारी किए गए एक्सेस पास का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

क्षेत्रीय जलक्षेत्र से बाहर काम करने वाले भारतीय मछुआरों के लिए निर्यात के नए अवसर सृजित करने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा की गई थी कि EEZ या हाई सीज़ में भारतीय मत्स्यन जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियां शुल्क मुक्त होंगी, और विदेशी बंदरगाहों पर उनकी लैंडिंग को माल के निर्यात के रूप में माना जाएगा, जिसमें पारगमन या ट्रांसशिपमेंट के दौरान दुरुपयोग को रोकने के सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। इस घोषणा के अनुसरण में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि EEZ में पकड़ी गई मत्स्य शुल्क मुक्त हो। ReALCRaft पोर्टल के माध्यम से जारी एक्सेस पास को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) और निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) के साथ जोड़ा गया है ताकि ट्रैसेबिलिटी और इको-लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध कैच और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदान किए जा सकें।

(ग): संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण अपनाते हुए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार का एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है ताकि गहरे समुद्र में मत्स्यन, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, प्रसंस्करण और निर्यात में छोटे पैमाने के मछुआरों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों और FFPOs को बढ़ावा दिया जा सके। सहकारिता मंत्रालय सहकारी संस्थानों को मजबूत करके और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से सहकारी ऋण तक पहुंच को सुगम बनाकर इस पहल को सहायता प्रदान करता है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत, NCDC ने महाराष्ट्र, गुजरात, पुडुचेरी और गोवा में गहरे समुद्र के मत्स्यन जहाजों के अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान की है। NCDC ने मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत गहरे समुद्र के मत्स्यन जहाजों के अधिग्रहण का भी सहायता प्रदान की है।

(घ) से (ड.): एक्सेस पास ढांचा मौजूदा डिजिटल मात्स्यिकी और समुद्री सुरक्षा प्रणालियों के साथ अभिसरण में काम करता है। यह मत्स्यन जहाजों पर स्थापित उपग्रह-आधारित ट्रांसपोंडरों के साथ एकीकृत है और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने तथा मत्स्यन दक्षता में सुधार करने के लिए सीधे संभावित-मत्स्यन-क्षेत्र (PFZ) की रीयल-टाइम सलाह, मौसम का पूर्वानुमान, चक्रवात और सुनामी की चेतावनी, नौवहन संबंधी सलाह, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) अलर्ट, आपातकालीन संचार और अन्य सुरक्षा संबंधी जानकारी सीधे पहुंचाने के लिए नभमित्र मोबाइल एप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है।

अनुलग्नक

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) में मत्स्यन हेतु प्रवेश पास के संबंध में माननीय संसद सदस्य, लोकसभा श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े और श्री तेजवीर सिंह द्वारा पूछे गए 12 अगस्त, 2026 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्रम संख्या	**तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**EEZ नियम, 2025 (5 अगस्त, 2026 तक) के तहत जारी एक्सेस पास**
1.	कर्नाटक	2563
2.	गुजरात	2524
3.	आंध्र प्रदेश	1952
4.	ओडिशा	887
5.	महाराष्ट्र	627
6.	दमन और दीव	372
7.	लक्षद्वीप	257
8.	केरल	256
9.	गोवा	87
10.	अंडमान और निकोबार	52
11.	पुडुचेरी	46
12.	पश्चिम बंगाल	21
13.	तमिलनाडु	6
	कुल योग	**9650**
